भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3065

बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

पीएम-एसजीएमबीवाई के तहत निर्धारित लक्ष्य

3065. श्री अनिल यशवंत देसाई:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में इस योजना से लाभान्वित होने वाले परिवारों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत लागू सब्सिडी का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत सोलर पैनल की स्थापना के बाद उपलब्ध सेवाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) फरवरी 2024 से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PMSG: MBY) को लागू कर रहा है, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 तक आवासीय क्षेत्र में एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर (RTS) इंस्टॉलेशन प्राप्त करना है। PMSG: MBY एक मांग संचालित योजना है जिसमें देश के सभी आवासीय उपभोक्ता, जिनके पास स्थानीय वितरण कम्पनी (DISCOM) का ग्रिड से जुड़ा बिजली कनेक्शन है, राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करके, RTS सिस्टम स्थापित कर, योजना के लाभ उठा सकते हैं सकते हैं। योजना के तहत, फरवरी 2024 से इसके शुरुआत होने के बाद दिनांक 06.03.2026 की स्थिति के अनुसार, कुल 31,12,850 परिवारों को RTS सिस्टम की स्थापना से लाभ हुआ है।

(ग) योजना के तहत आवासीय क्षेत्र के लिए उपलब्ध केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) निम्नलिखित है: -

- व्यक्तिगत परिवारों के लिए, CFA पहले 2 kWp के लिए प्रति kWp 30,000/- रुपये और अतिरिक्त प्रत्येक 1 kWp के लिए 18,000/- रुपये है। व्यक्तिगत परिवार के लिए सब्सिडी की सीमा 3 kWp रूफटॉप सोलर संयत्र क्षमता तक है।
- समूह आवासीय सोसाइटी/आवासीय कल्याण संघ (GHS/RWA) के लिए, रूफटॉप सोलर संयंत्र की अधिकतम 500 kWp सीमा के साथ CFA प्रति kWp 18,000/- रुपये है।
- विशेष श्रेणी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य, अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, CFA 10% अधिक है।

(घ) PMSG: MBY के तहत, पंजीकृत वेंडर RTS संयंत्रों को शुरू करने की तिथि से 5 वर्षों तक रखरखाव करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अतिरिक्त, संबंधित OEMs द्वारा प्रणाली के उपकरणों (कंपोनेंटों) पर वारंटी प्रदान की जाती है।

*****